जिला पंचायत, आजमगढ़।

बुक सं0 : 66 निविदा प्रपत्र संख्या नि0 का0–3 क्रमांक : 6591

(नियम 23 देखिये)

(प्रमुख सचिव पंचायती राज के कार्यकारी आदेश संख्या 5748/33–2–2006–190 जी0/2006, दिनांक 17.11.2006 द्वारा संशोधित)

ठेकेदारों के लिये प्रतिशत दर टेंडर की मद

निर्माण कार्य का नामः ....

ठेकेदार का नामः ....

ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

1. ठेके द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित सभी निर्माण–कार्य टेण्डर आमंत्रित करने के रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर चिपकायें जायेंगे, जिस पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
   इस प्रपत्र में किये जाने वाले निर्माण–कार्य का वर्णन और टेण्डर प्रस्तुत करने और खुलने का दिनांक और निर्माण–कार्य सम्पादित करने के लिए अनुमानित समय, टेण्डर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की धनराशि और सफल टेण्डर देने वाले द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति और बिलों से काटा जाने वाला प्रतिशत यदि कोई हो, दिया जायेगा। इस ठेका लेख्य के सेट में प्रस्तावित निर्माण–कार्य की ड्राइंग और ब्यौरा, विशिष्टियाँ, निर्माण–कार्यों के विभिन्न मदों के परिमाणों की अनुसूचि और प्रयुक्त किये जाने वाले टेण्डर के, जिस पर मुख्य अधिकारी द्वारा पहचान के लिए हस्ताक्षर किया जायेगा, प्रपत्र के साथ मुद्रित ठेका शर्तों का प्रपत्र होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा जो ठेका देने के लिए सक्षम हो और वह अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में, कार्यालय समय में जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
2. यदि टेण्डर किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाये तो इस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग–अलग हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिए या किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तारनामे का अधिकार हो इस पर हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिए।
3. किसी ऐसे निर्माण–कार्य के सम्बन्ध में, जब किसी फर्म द्वारा वह निस्पादित किया जाये, किये गये भुगतान के लिए रसीद पर विभिन्न भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, सिवाय जब टेण्डर में ठेकेदार फर्म के रूप में वर्णित किये गये हों उस दशा में रसीदों पर फर्म के लाभ में किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें फर्म के लिए प्रभावी रसीद देने का अधिकार हो, अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
4. कोई ठेकेदार जो टेण्डर प्रस्तुत करता है टेण्डर का नियम प्रपत्र भरेगा और वह प्रपत्र पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो उस मामले पर लागू न हो काट देगा। ऐसे टेण्डर जिनमें टेण्डर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य या ऐसा निर्माण कार्य करने के लिए अनुमति समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्तें हों उसमें कोई परिवर्तन करना हो या अंग्रेजी में भरे गये हों या उसके साथ विज्ञापित बयाने की धनराशि जमा न की गई हो, अस्वीकार कर दिये जायेंगे। टेण्डरों पर लिफाफे के बाहर उस निर्माण–कार्य का नाम जिसके सम्बन्ध में वे हों, लिखा जायेगा।
5. अपर मुख्य अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सहायक किन्हीं इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में जो उस समय उपस्थित हों, टेण्डर खोलेगा और विभिन्न टेण्डरों की धनराशि एक उपयुक्त प्रपत्र में एक तुलनात्मक विवरण पत्र में दर्ज करेगा। टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने की दशा में, उसके साथ भेजे गये बयाने की धनराशि के लिए तदुपरान्त ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी, जो तदुपरान्त पहचान के लिए पैरा–1 में उल्लिखित विशिष्टियों और अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर करेगा। टेण्डर अस्वीकार कर दिये जाने की दशा में ऐसे अस्वीकार किये गये टेण्डर के साथ भेजी गई बयाने की धनराशि तदुपरान्त ठेकेदार को लौटा दी जायेगी।
6. स्वीकृति प्राधिकारी को सभी या किसी टेण्डर को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई बयाने की धनराशि के लिए किसी लेखाकार, कैशियर, लिपिक या अन्य वसूली कर्मी की रसीद, अपर मुख्य अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रूप में नहीं मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिल जाये।
8. टेण्डर प्रपत्र जारी किये जाने के पूर्व में ऐसे निर्माण–कार्य का ज्ञापन जिसके लिए टेण्डर आमंत्रित किया गया हो अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में भरा/भेजा जायेगा।
9. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि आयकर विभाग, व्यापार कर विभाग द्वारा निविदादाता के पक्ष में निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर दिया जाये।
10. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक ठेकेदार द्वारा जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 वर्ष या उससे कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाये।
11. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित सन्तोषजनक गतिविधियों सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाये।
12. जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त शाषीय संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरने एवं ठेके लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा।
13. एक ठेकेदार द्वारा एक साल्वेन्सी सर्टिफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जायेगी। कुछ साल्वेन्सी सर्टिफिकेट को बैंक एवं आयकर विभाग से भी सत्यापन कराये जायेंगे और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति/साल्वेन्सी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
14. किसी भी अधिवक्ता को जो राज्य बार काउन्सिल से पंजीकृत हो जिला पंचायत के कार्यों को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
15. जब कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकी दी गई है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पैटटा या ठेका निरस्त कर पुनः निविदा मांगने की व्यवस्था की जायेगी।
16. किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों से लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।
17. निविदा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को इलेक्ट्रानिकली अथवा कार्यालय जिला पंचायत आजमगढ़ एवं कार्यालय जिलाधिकारी आजमगढ़ में रखे निविदा बाक्स में डाला जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट http://www.azamgarh.nic.in से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड फार्म की दशा में निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के बैंक स्टेट बैंक आफ इण्डिया मुख्य शाखा रैदोपुर, आजमगढ़ के खाता संख्या–10954895990 में सीधे जमा किया जायेगा तथा निविदा फार्म पर फार्म का मूल्य एवं धरोहर धनराशि का विवरण अंकित करते हुए इलेक्ट्रानिकली www.dpmuazamgarh@gmai.com पर इमेल किया जा सकता है। निविदा खोलने के समय निविदा फार्मों के साथ बयाने की धनराशि (धरोहर धनराशि की मूल प्रति) संलग्न होने पर ही संविदा पर विचार किया जायेगा।

निर्माण कार्य के लिए टेण्डर

मैं / हम एतद् द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत के निमित्त ज्ञापन पत्र में उल्लिखित निर्माण कार्य का, ऐसे ज्ञापन पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित दरों पर इसके पैरा–1 और ठेका की शर्तों के खण्ड–2 में निर्दिष्ट विशिष्टियों, डिजाइन, ड्राइंग और लिखित अनुदेशों के अनुसार और सभी प्रकार से और ऐसी सामग्री से जिनकी व्यवस्था की गयी हो और ऐसी शर्तों के अनुसार जहाँ तक प्रयोज्य हो सभी अन्य प्रकार से निस्पादित करने के लिए टेण्डर देता हूँ / देते हैं।

ज्ञापन-पत्र

(क) सामान्य ब्यौरा – यदि अनेक उप निर्माण–कार्य सम्मिलित किये जायें तो उन्हें एक पृथक सूची में ब्यौरेवार देना चाहिए।

(ख) अनुमानित लागत ....

पृष्ठ .... पर पैरा .... के अनुसार रूपया ....

(ग) बयाने की धनराशि ....

निर्माण–कार्य प्रारम्भ करने के लिखित आदेश के दिनांक से कार्य के लिए अनुमत समय .... मास ....

क्रमांक	मद संख्या	निर्माण कार्य की मद	लगभग संख्या या परिणाम	इकाई	टेण्डर दर अंकों में	टेण्डर दर शब्दों में	स्वीकृत दर अंकों में	स्वीकृत दर शब्दों में

स्वीकृत अनुमानों में दर्ज दरों से (..............................) अधिक / कम प्रतिशत पर टेण्डर देता हूँ / देते हैं।

या

उपर्युक्त दरों पर टेण्डर देता हूँ / देते है।

यदि यह टेण्डर स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुमोदित ठेका लेख्यों के सेट से संलग्न ठेका की शर्तों और उसके उपबन्धों का पालन करने और उन्हें पूरा करने या उससे व्यक्तिवय करने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत उस पद में उत्तरवर्तियों के प्रति उक्त शर्तों में उल्लिखित धनराशि समपहृत करने और भुगतान करने के लिए सहमत हूँ / है।

इसके साथ बयाने की धनराशि के रूप में करेन्सी नोट्स में .... रूपये का धनराशि भेजी जाती है जिसका पूरा मूल्य ठेका की शर्तों के खण्ड–1 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा के कारण बना रहेगा।

दिनांक : ....

साक्षी : ....

पता : ....

टेण्डर फार्म मूल्य जमा की रसीद संख्या व दिनांक : ....

टेण्डर फार्म मूल्य जमा का प्रकार : ....

उपजीविका : ....

जिला पंचायत की ओर से एतद् द्वारा उपर्युक्त टेण्डर मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम : .... दिनांक : ....

मैं / हम विकल्प को काट दीजिए और वहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए।

यहाँ पर ब्यौरा और संख्या दीजिये।

टेण्डर प्रस्तुत करने से पूर्व ठेकेदार का हस्ताक्षर : ....

ठेकेदार के हस्ताक्षर के प्रतिसाक्षी का हस्ताक्षर : ....

यहाँ पर "सिफारिश नहीं किया गया है" दर्ज कीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिये।